Maharaja Ganga Singh University, Bikaner

NH-15, Jaiselmer Road Bikaner

F./MGSU/Store Deptt/2015/ 33934

Date 21/03/16

Tender Notice

Sealed Tenders are invited under annual rate contract from experienced , authorized firms/ contractors for one year from the agreement date . Details are mentioned hereunder:

1. From Microsoft Authorized Firms for Academic Volume Licensing Reselling for Campus Agreement (for 100 Users) and Windows Operating System (20 nos.) having estimated cost of Rs.4.50 lacs (approx.) withEMD (Rs.9000) & Tender fee (Rs.200).
2. Mike arrangement in University having estimated cost of Rs.1.50 lacs (approx.) with EMD (Rs.3000) & Tender fee (Rs.200).

Tenders will not be aacepted without EMD/Tender Fees.The tender form with terms & conditions may be downloaded from university website **www.mgsubikaner.ac.in** and **http://sppp.rajasthan.gov.in.**Separate sealed Tenders for each work where Tender name is specifically written along with EMD and Tender Fees must be deposited in the Comptroller's Office upto 05.04.16 till 02:00 p:m which will be opened same day at 03:00 p:m. Tenders will not be accepted through post.

Comptroller

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

माइक व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	**माइक व्यवस्था**	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	05.04.16 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
निविदा कमांक–	दिनांक	निविदा खोलने की तिथि	05.04.16 मध्यान्ह 03:00 बजे
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	माइक व्यवस्था : रू.1,50,000/-, रू.3,000/- रू.200/-		

1. ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम **(मय दूरभाष/मो.न.)** ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.. ....(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया...
5. संदर्भ...
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद...........................एवं दिनांक...द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या...के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. हम..द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ...... में वर्णित सभी षर्तो से तथा संलग्न षीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें **निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री मात्रा उनमे प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है :**

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	**किराया** दर (रूपये)	कीमत (उत्पादक शुल्क, कार्टरेज पैकिंग केन्द्रिय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर आदि सम्मिलित करते हुए)
संलग्न सूची के अनुसार			

9. **फर्म को विश्वविध्यालय भवन, कुलपति आवास, कोटड़ी गाँव तथा बीकानेर शहर में स्थित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविध्यालयों में सेवाओं की प्रदायगी करनी होगी।**
10. **फर्म को आदेश प्राप्त होते ही निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय से तीन घंटे पूर्व समस्त व्यवस्था करनी होगी । आदेशित किये गए समय से अगले 24 घंटे की सेवायें प्राप्त करते हुए एक दिवस का कार्य मानते हुए विश्वविध्यालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।**
11. उपर उद्धत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
12. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या........................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक ....रूपये ....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
13. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र संलग्न है।
14. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

माइक व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :...
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):...
3. भागीदारों के नाम :...
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :...
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है :...
6. दरें नीचे लिखी तालिका में **अंकित करें :**

(अ) माइक व्यवस्था

क्र.सं.	**विवरण** माइक व्यवस्था **मय आपूर्ति, मज़दूरी एवं आवश्यक सामग्री स्थापना-हटाना**	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम **प्रतिदिन बीकानेर शहर में**)	दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम **जोड़बीड के पास स्थित कोटड़ी गाँव के लिए)**
1	ECO MACHINE	Per item		
2	CORD LESS MIKE	Per item		
3	CORD MIKE	Per item		
4	SPEAKERS 150 Watt Two way12 inch	Per item		
5	SPEAKERS 150 Watt four way12 inch	Per item		
6	SPEAKERS 400 Watt Two way18 inch	Per item		
7	SPEAKERS 400 Watt four way18 inch	Per item		
8	MIXER 12 CHANNEL	Per item		
9	MIXER 16 CHANNEL	Per item		
10	VOICE RECORDER VIA COMPUTER SYSTEM	Per item		
11	MIKE STAND	Per item		
12	AMPLIFIER with required wire/cable to connect with various speakers (with	Per item		

	three hours battery backup) 1000 WATT			
13	AMPLIFIER with required wire/cable to connect with various speakers (with three hours battery backup) 2000 WATT	Per item		
14	Podium gooseneck mike	Per item		
15	Wireless coller mike	Per item		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

विश्वविध्यालय के अंतर्गत माइक व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्ते

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी । अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि अनुमानित लागत की दो प्रतिशत की दर से अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होगीं ।
2. किसी प्रकार की प्रति–शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नही होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. मांग पर सप्लाई न करने पर प्रतिभूति राशि ज़ब्त कर ली जायेगी ।
6. विश्विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की पेशगी (अग्रिम) नहीं दी जावेगी ।
7. समस्त सामान की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी ।
8. समस्त व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर आदेशनुसार चाहे गये सामान को दूकान से उपयोग स्थल तक लाने ले जाने का, लगाने एवं हटाने/समटने एवं सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का होगा । विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यों के लिये किसी भी प्रकार किराया भाडा एवं मजदूरी अतिरिक्त देय नहीं होगी ।
9. समस्त व्यवस्थाओं के लिये अलग से कोई पारिश्रमिक एवं मजदूरी नहीं दी जाएगी ।
10. दरें समस्त कर सहित एफ.ओ.आर सहित होगी । अलग से किसी प्रकार का कोई कर/वैट/शुल्क आदि देय नहीं होगा ।
11. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम की दिनांक का ही किराया देय होगा । एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद का देय नही होगा।
12. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम समिति द्वारा फर्म का निरीक्षण कर यथा निर्देशानुसार कार्य फर्म को संपादित करना होगा ।
13. समस्त व्यवस्थाओं का विश्वविद्यालय की आवश्यकता होने पर मांग अनुसार बताये गए समय पर आवश्यक रूप से करनी होगी । किसी प्रकार का विलम्ब एवं अव्यवस्था पर शास्ति बिल राशि पर 10 % तक काटी जा सकेगी ।

14. दरें एक वर्ष के लिए अनुमोदित की जायेंगी जिसे आपसी सहमती से घटाया बढाया जा सकता है एवं मांग अनुसार जब भी जिस आईटम की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार सप्लाई करनी होगी ।

15. फर्म द्वारा <u>समस्त व्यवस्थाओं</u> की व्यवस्था कार्यक्रम दिवस पर न करने पर आवश्यकतानुसार स्थनीय बाज़ार से ठेकेदार की रिस्क एंड कास्ट के आधार पर अन्य ठेकेदार से <u>कार्य करवाया जा सकेगा</u> जिससे होनेवाले नुकसान की भरपाई निविदा दाता को करनी होगी ।

16. <u>समस्त व्यवस्थाओं का</u> कार्यक्रम समिति के आदेशानुसार होने पर ही भुगतान किया जाना संभव होगा ।

17. **<u>विश्वविद्यालय में लगाये गये सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी इसके अतिरिक्त अन्य सामान की व्यवस्था व देखभाल अपने स्तर पर करनी होगी ।</u>**

18. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की टूट फूट या क्षति के लिए निविदादाता उत्तरदायी होगा ।

19. विश्वविद्यालय में कार्यालय कार्य अनुमोदित दरों पर करना होगा ।

20. माइक व्यवस्था के संबध में माइकों के सुचारू रूप से संचालन हेतु माइक ऑपरेटर की व्यवस्था कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एवं अंतिम चरण तक माइक ऑपरेटर उपस्थित रहेगा । जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।

21. दरें अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि समायोजन करने के पश्चात् बकाया प्रतिभूति राशि 3 % अतिरिक्त जमा कराते हुए 500/– रूपए के नॉन ज्युडिशिअल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर–अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

22. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

23. **समस्त व्यवस्थाओं के लिए वही फर्म आवेदन करें जो की उस सम्बंधित व्यवसाय में कार्यरत हों । अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी ।**

24. **<u>धरोहर राशि:–</u>**

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

25. <u>निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–</u>

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को कय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

26. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी

27. विवाद होने पर बीकानेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

वित्त नियंत्रक

मै/हम घोषित करता हूं/करते है कि मैने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्ते स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर